| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| 29.10.24 | पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त रिपोर्ट पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई वकील वादी ने फर्द बटवारा अनुसार दावा डिक्री किया जाने का निवेदन करने पर फर्द बटवारा अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। पत्रावली वास्ते फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। |

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या ::– 41/2023

1– रामलाल पिता गोपी धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
2– अमरीबाईपुत्री गोपी धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं

वादीगण

बनाम

1–कूका पिता दौला धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
2–कैलाश पिता सौचन्द धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
3–खैमा पिता सौचन्द धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
4–खाना पिता लक्ष्मण धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
5–गोपाल लाल पिता बालूलाल धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
6–नन्दलाल पिता प्यारचंद धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
7–प्यारीबाई पुत्री बालू धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
8–प्रभूलाल पिता लक्ष्मण धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
9–फोजु पिता सौचन्द धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
10–फोरू पिता लक्ष्मण धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
11–मांगीबाई पति स्व. प्यारचंद धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
12–रूपलाल पिता बालू धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
13–सरजबाई पत्नी स्व. बालू धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
14–बंशीलाल पिता उदा जी धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
15–नंदा पिता गोकल धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूं
17–श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय चितौडगढ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बेगूं
18–श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा सूलीमंगरा तह0 बेगूं
19–श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार बेगूं जिला चितौडगढ़
20–श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक ::– 29.10.2024

## निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा बृजपुरा प.ह. डोराई , मनकेशर प.ह. डोराई तहसील बेगूं में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 15 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात जमाबंदी सं. 2075 में दर्ज स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार से है:–

(अ) ग्राम बृजपुरा प.ह. डोराई

| खाता संख्या | आराजी संख्या | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|
| 57 | 319 | 0.1620 |
| | 320 | 0.0890 |
| | 321 | 0.2900 |
| | 322 | 2.2590 |
| | 324 | 0.2190 |
| | 325 | 0.2110 |
| | 326 | 0.1380 |
| | 327 | 0.0730 |
| | 505/324 | 0.1860 |
| | 506/325 | 0.1940 |
| | कीता–10 कुल रकबा | 1.8210 है0 |

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

ग्राम डोराई प.ह. डोराई

| खाता संख्या | आराजी संख्या | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|
| 93 | 367 | 0.0650 |
| | 368 | 0.2020 |
| | 371 | 0.1700 |
| | 372 | 0.1700 |
| | 373 | 0.0560 |
| | 374 | 0.2270 |
| | 375 | 0.2020 |
| | 376 | 0.2590 |
| | 380 | 0.0810 |
| | 381 | 0.01810 |
| | 383 | 0.0240 |
| | 384 | 0.0490 |
| | 385 | 0.2810 |
| | 386 | 0.0730 |
| | 395 | 0.3000 |
| | 396 | 0.2750 |
| | कीता–16 कुल रकबा | 2.5170 है0 |

(स) ग्राम मनकेशर प.ह. डोराई

| खाता संख्या | आराजी संख्या | रकबा हैक्टर |
|---|---|---|
| 44 | 237 | 0.8180 |
| | 238 | 0.2680 |
| | 249 | 0.0160 |
| | 250 | 0.0320 |
| | 251 | 0.0080 |
| | 317/237 | 0.2590 |
| | 318/237 | 0.2670 |
| | कीता–7 कुल रकबा | 1.6680 है0 |

यह कि वादपत्र की कलम संख्या एक की उपकलम "अ" खाता संया 57 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी संख्या 1 2/9 व वादी संख्या 2 का 1/9 हक हिस्सा निहित है तथा उपलकलम "ब" खाता संख्या 93 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी संख्या 1 का 2/9 व वादी संख्या 2 का 1/9 हक हिस्सा निहित है तथा उपलकलम "स" खाता संख्या 44 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी संख्या 1 का 2/9 व वादी संख्या 2 का 1/9 हक हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 तक का भी राजस्व जमाबिंदी रेकार्ड में अंकितानुसार हक हिस्सा निहत है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 तक अपने अपने हक हिस्से पर मौके पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। वर्णित कृषि आराजीयात का विधिवत विभाजन नहीं होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 केक मध्य आए दिन फसल बोने व धास काटते समय एवं लगान जमा कराते समय भूमि की सीमा एवं विभाजन को लेकर विवाद होता रहता है।

यह कि वादीगण द्वारा दिनांक 10.02.2023 को प्रतिवादीगण से आपसी सहमति से तहसील में चलकर बंटवारा कराने की कहा तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया जिससे वाद कारण दिनांक 10.02.2023 से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान हैं। यह कि वर्णित कृषि आराजीयात बैंक शाखा के रहन होने से एवं श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ विभाजन के वाद में आवश्यक होन से एवं श्रीमान श्रीमान जिला कलक्टर वाद में राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से उन्हें पक्षकार बनाया है। वर्णित कृषि आराजीयात न्यायलाय श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रृवणाधिकार में स्थित होन से वादपत्र न्यायलय श्रीमान मे पेश है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीण्गा निम्न अनुतोष की डिकी प्रदान कराई जावें

(क) कि वादपत्र की कलम संख्या एक की उपकलम संख्या "अ" मौजा बृजपुरा प.ह. डोराई के खाता संख्या 57 मे वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी संख्या 1 का 2/9 व वादी संख्या 2 का 1/9 हक हिस्सा निहित है तथा उपलकलम "ब" मौजा डोराई प.ह. डोराई के खाता संख्या 93 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी संख्या 1 का 2/9 व वादी संख्या 2 का 1/9 हक हिस्सा निहित है तथा उपलकलम "स" मौजा मनकेशर प.ह. डोराई के खाता संख्या 44 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी संख्या 1 का 2/9 व वादी संख्या 2 का 1/9 हक हिस्सा एवं प्रतिवसादीण्गा संख्या 1 से 15 तक का राजस्व जमावंदी रेकार्ड में अंकितानुसार हक ह्सिसा भूमि का वादीण्गा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 तक के मध्य राजस्व

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

...ई की जमाबंदी में अंकित हिस्सेनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से ...री भूमि का विभाजन किए जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

(ख) कि बाद विभाजन वादीण्णा का खाता अलग रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में प्रदान कराई जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादीगण हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

(घ) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादीगण को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 17 तक के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए किन्तु प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायलाय मे उपस्थित नहीं आने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 तक के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये। तथा पत्रावली मे प्रतिवादीगण संख्या 18 भूमिधारी व 19 प्रतिनिधि राज्य सरकार विभाजन के प्रकरण मे फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। पत्रावली में वादी रामलाल व गवाह भर के साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें वादी रामलाल द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श करा अपने बयान कलमबद्ध कराये। प्रकरण वादीगण की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने पर अधिवक्ता वादीगण की बहस को सुना गया जिन्होने वादपत्र के अनुसार तथा जमाबंदी अनुसार वादीगण का हक हिस्से का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर व कब्जेअनुसार कराये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

पत्रावली में बहस अधिवक्ता वादीगण की सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा मनकेशर प. ह. डोराई प्रदर्श– 1 का अवलोकन करने पर पाया कि खाता संख्या 44 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात आराजी संख्या 237, 238, 249, 250, 251, 317/237, 318/237 किता– 7 कुल रकबा 1.6680 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 का हक हिस्सा 2/9 एवं वादी संख्या 2 का हक हिस्सा 1/9 दर्ज अंकित है शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 तक का जमाबंदी में अंकित किया है। इसी प्रकार प्रदर्श– 2 नक्शा आराजी का ट्रेस है तथा प्रदर्श– 3 नकल जमाबंदी मौजा डोराई प0ह0 डोराई के खाता संख्या 93 में दर्ज संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात की आराजी संख्या 367, 368, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 395, 396 कीता– 16 कुल रकबा 2.5170 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 का हक हिस्सा 2/9 व वादी संख्या 2 का हक हिस्सा 1/9 दर्ज अंकित होकर शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 तक का जमांबंदी मे दर्ज अंकित है। प्रदर्श– 4 नक्शाट्रेस आराजी का है। साथ ही प्रदर्श– 5 नकल जमबंदी मौजा बृजपुरा प0ह0 डोराई के खाता संख्या 57 में दर्ज संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात के आराजी संख्या 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 505/324, 506/325 कुल कीता– 10 कुल रकबा 1.8210 हैक्टर भूमि में वादी संख्या एक हक हिस्सा 2/9 व वादी संख्या 2 का हक हिस्सा 1/9 दर्ज अंकित होकर शेष हक हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 तक का जमाबंदी में दर्ज किया हुआ है, जो वादपत्र अनुसार अंकित होना पाया जाता है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत किसी सह खातेदार को अपना हिस्सा कृषि आराजी का विभाजित कराने का अधिकार प्राप्त है, जिससे वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा मनकेशर प.ह. डोराई खाता संख्या 44 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात आराजी संख्या 237, 238, 249, 250, 251, 317/237, 318/237 किता– 7 कुल रकबा 1.6680 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 का हक हिस्सा 2/9 एवं वादी संख्या 2 का हक हिस्सा 1/9 दर्ज अंकितानुसार एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 तक का जमाबंदी में अंकितानुसार एवं मौजा डोराई प0ह0 डोराई के खाता संख्या 93 में दर्ज संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात की आराजी संख्या 367, 368, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 395, 396 कीता– 16 कुल रकबा 2.5170 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 का हक हिस्सा 2/9 व वादी संख्या 2 का हक हिस्सा 1/9 दर्ज अंकितानुसार एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 तक का जमांबंदी मे दर्ज अंकितानुसार तथा मौजा बृजपुरा प0ह0 डोराई के खाता संख्या 57 में दर्ज संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात के आराजी संख्या 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 505/324, 506/325 कुल कीता– 10 कुल रकबा 1.8210 हैक्टर भूमि में वादी संख्या एक हक हिस्सा 2/9 व वादी संख्या 2 का हक हिस्सा 1/9 दर्ज अंकितानुसार तथा शेष हक हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 तक का जमाबंदी में दर्ज अनुसार रखते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जेनुसार एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर वर्णित कृषि भूमि का विभाजन मौके पर किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा निर्देशित किया जाता है कि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त आदेश की पालना में विभाजन कराते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ इस न्यायालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। वर्णित निर्णय की प्राथमिक डिक्री तैयार की जाकर प्राथमिक डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक/4306 दिनांक 25.09.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मनकेशर व बृजपुरा प.ह. डोराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:-

ग्राम मनकेशर :-

1- श्री रामलाल पिता गोपी 2/3, अमरी पिता गोपी धाकड 1/3 सा. डोराई खातेदार रहन भूमि विकास बैंक शाख बेंगूं

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | लगान |
|---|---|---|
| 2.37 मे | 0.0440 | 12.19 |
| 2.38 मे | 0.113 | 0.28 |
| कीता- 02 | 0.553 हैक्टर | 12.47 |

2- खाना पिता लक्ष्मण 1/6, गोपाललाल पिता बालु 1/6, नन्दा पिता गोकल 1/4, प्यारीबाई पिता बालु 1/6, प्रभू पिता लक्ष्मण 1/6, फोरूपिता लक्ष्मण 1/6, रूपलाल पिता बालु 1/16, सरजूबाई पति बालु 1/16, धाकड सा. देह डोराई रहन हिस्सा फोरू का भूमि विकास बैंक शाख बेंगूं

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 2.37 मे | 0.378 | चाही।। 0.216 | 5.98 |
| | | जाव।। 20.162 | 2.20 |
| 2.38 मे | 0.155 | बीड | 0.38 |
| 249 | 0.016 | चाही।। 20.008 | 0.22 |
| | | जाव।। 0.008 | 0.11 |
| 250 | 0.032 | मकान | — |
| 317/237 | 0.259 | चाही।। 20.21 | 5.82 |
| | | जाव।। 0.049 | 0.66 |
| 318/237 | 0.267 | चाही।। 0.216 | 5.84 |
| | | जाव।। 20.162 | 0.76 |
| कीता- 06 | 1.107 हैक्टर | | 21.97 |

जमाबन्दी खाता अनुसार शामलाती बदस्तुर

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 251 | 0.008 | आ.च. | — |
| कीता- 01 | 0.008 हैक्टर | | |

ग्राम डोराई :-

1- श्री रामलाल पिता गोपी 2/3, अमरी पिता गोपी धाकड 1/3 सा. डोराई खातेदार रहन भूमि विकास बैंक शाख बेंगूं

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 368मे | 0.119 | बीड | 0.29 |
| 371 | 0.170 | चाही। | 7.38 |
| 376 | 0.259 | चाही। | 11.24 |
| 396 | 0.275 | चाही। | 11.94 |
| कीता- 04 | 0.823 हैक्टर | | 30.85 |

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

कुका पिता दोला 1/4, कैलाश पिता शोचन्द 1/32, खेमा पिता शोचन्द 1/32, खाना पिता लक्ष्मण 1/12, गोपालाल पिता बालु 1/32, नन्दा पिता प्यारा 1/8, प्यारीबाई पिता बालु 1/32, प्रभू पिता लक्ष्मण 1/12, फोजु पिता शोचन्द 1/32, फोरू पिता लक्ष्मण 1/12, बंशीलाल पिता उदा 1/8, रूपलाल पिता बालु 1/32, सरजूबाई पति बालु 1/32, सोहनी पति शोचन्द 1/32 धाकड सा. देह डोराई रहन हिस्सा कुका, कैलाश, फोरू का भूमि विकास बैंक शाख बेंगू हिस्सा खेमा बैंक ऑफ बडोदा बेंगू

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 367 | 0.065 | बीड | 0.16 |
| 368मे | 0.083 | बीड | 0.21 |
| 372 | 0.170 | चाही। | 7.38 |
| 373 | 0.056 | चाही। | 2.43 |
| 374 | 0.227 | चाही। | 9.85 |
| 375 | 0.202 | चाही। | 8.77 |
| 380 | 0.081 | चाही। | 3.52 |
| 381 | 0.081 | चाही। | 3.52 |
| 383 | 0.024 | चाही। | 1.04 |
| 385 | 0.283 | चाही। | 12.28 |
| 386 | 0.073 | चाही। | 0.18 |
| 395 | 0.300 | चाही | 13.02 |
| कीता– 12 | 1.645 हैक्टर | | 62.36 |

जमाबन्दी खाता अनुसार शामलाती बदस्तुर

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 384 | 0.049 | आ.च. | – |
| कीता– 01 | 0.049 हैक्टर | | |

ग्राम वृजपुरा :–

1– श्री रामलाल पिता गोपी 2/3, अमरी पिता गोपी धाकड 1/3 सा. डोराई खातेदार रहन भूमि विकास बैंक शाखा बेंगू

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 320 | 0.089 | बीड | 0.22 |
| 321 | 0.290 | चाही।।। 0.088 | 7.38 |
| | | जाव।।। 0.202 | 1.88 |
| 327मे | 0.042 | बीड | 0.10 |
| 505/324 | 0.186 | चाही।।। | 3.46 |
| कीता– 04 | 0.823 हैक्टर | | 30.85 |

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

कुका पिता दोला 1/4, कैलाश पिता शोचन्द 1/32, खेमा पिता शोचन्द 1/32, खाना पिता लक्ष्मण 1/12, गोपालाल पिता बालु 1/32, नन्दा पिता प्यारचन्द 1/16, प्यारीबाई पिता बालु 1/32, प्रभू पिता लक्ष्मण 1/12, फोजु पिता शोचन्द 1/32, फोरू पिता लक्ष्मण 1/12, मांगी पति प्यारचन्द 1/16, रूपलाल पिता बालु 1/32, सरजूबाई पति बालु 5/32, सोहनी पति शोचन्द 1/32 धाकड सा. देह डोराई रहन हिस्सा कुका, कैलाश, फोरू का भूमि विकास बैंक शाख बेंगॅू हिस्सा खेमा का बैंक ऑफ बडौदा बेंगॅू

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 319 | 0.162 | बीड | 0.40 |
| 322 | 0.259 | चाही।।। | 4.82 |
| 324 | 0.219 | चाही।।। | 4.07 |
| 325 | 0.211 | चाही।।। | 3.92 |
| 326 | 0.138 | बीड | 0.34 |
| 327मे | 0.031 | बीड। | 0.08 |
| 506/325 | 0.194 | चाही।।। | 0.361 |
| कीता– 07 | 1.214 हैक्टर | | 17.24 |

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगॅू

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :— 41/2023

1— रामलाल पिता गोपी धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
2— अमरीबाईपुत्री गोपी धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1—कूका पिता दौला धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
2—कैलाश पिता सौचन्द धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
3—खैमा पिता सौचन्द धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
4—खाना पिता लक्ष्मण धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
5—गोपाल लाल पिता बालूलाल धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
6—नन्दलाल पिता प्यारचंद धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
7—प्यारीबाई पुत्री बालू धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
8—प्रभूलाल पिता लक्ष्मण धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
9—फोजु पिता सौचन्द धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
10—फोरू पिता लक्ष्मण धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
11—मांगीबाई पति स्व. प्यारचंद धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
12—रूपलाल पिता बालू धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
13—सरजबाई पत्नी स्व. बालू धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
14—बंशीलाल पिता उदा जी धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
15—नंदा पिता गोकल धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ
17—श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय चितौडगढ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ
18—श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा सूलीमंगरा तह0 बेगूँ
19—श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार बेगूँ जिला चितौडगढ़
20—श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ...................की अनुपस्थिती में वाद अ.धा .88— 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 29.10. 2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के वाद पत्र में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृपि आराजीयात का निम्न प्रकार से विभाजन किये जाने की अंतिम डिक्री जारी किये जाने का आदेश दिया जाता है:—

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मनकेशर व बृजपुरा प.ह. डोराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:—

ग्राम मनकेशर :—

1— श्री रामलाल पिता गोपी 2/3, अमरी पिता गोपी घाकड 1/3 सा. डोराई खातेदार रहन भूमि विकास बैंक शाख बेगूँ

| आराजी संख्या | रकवा हैक्टर | लगान |
|---|---|---|
| 2.37 मे | 0.0440 | 12.19 |
| 2.38 मे | 0.113 | 0.28 |
| कीता— 02 | 0.553 हैक्टर | 12.47 |

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

खाना पिता लक्ष्मण 1/6, गोपाललाल पिता बालु 1/6, नन्दा पिता गोकल 1/4, प्यारीबाई पिता बालु 1/6, प्रभू पिता लक्ष्मण 1/6, फोरूपिता लक्ष्मण 1/6, रूपलाल पिता बालु 1/16, सरजूबाई पति बालु 1/16, धाकड सा. देह डोराई रहन हिस्सा फोरू का भूमि विकास बैंक शाख बेंगू

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 2.37 मे | 0.378 | चाही II 0.216 | 5.98 |
| | | जाव II 20.162 | 2.20 |
| 2.38 मे | 0.155 | बीड | 0.38 |
| 249 | 0.016 | चाही II 20.008 | 0.22 |
| | | जाव II 0.008 | 0.11 |
| 250 | 0.032 | मकान | — |
| 317/237 | 0.259 | चाही II 20.21 | 5.82 |
| | | जाव II 0.049 | 0.66 |
| 318/237 | 0.267 | चाही II 0.216 | 5.84 |
| | | जाव II 20.162 | 0.76 |
| कीता– 06 | 1.107 हैक्टर | 21.97 | |

जमाबन्दी खाता अनुसार शामलाती बदस्तुर

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 251 | 0.008 | आ.च. | — |
| कीता– 01 | 0.008 हैक्टर | | |

ग्राम डोराई :–

1– श्री रामलाल पिता गोपी 2/3, अमरी पिता गोपी घाकड 1/3 सा. डोराई खातेदार रहन भूमि विकास बैंक शाख बेंगू

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 368मे | 0.119 | बीड | 0.29 |
| 371 | 0.170 | चाही I | 7.38 |
| 376 | 0.259 | चाही I | 11.24 |
| 396 | 0.275 | चाही I | 11.94 |
| कीता– 04 | 0.823 हैक्टर | | 30.85 |

2– कुका पिता दोला 1/4, कैलाश पिता शोचन्द 1/32, खेमा पिता शोचन्द 1/32, खाना पिता लक्ष्मण 1/12, गोपालाल पिता बालु 1/32, नन्दा पिता प्यारा 1/8, प्यारीबाई पिता बालु 1/32, प्रभू पिता लक्ष्मण 1/12, फोजु पिता शोचन्द 1/32, फोरू पिता लक्ष्मण 1/12, बंशीलाल पिता उदा 1/8, रूपलाल पिता बालु 1/32, सरजूबाई पति बालु 1/32, सोहनी पति शोचन्द 1/32 धाकड सा. देह डोराई रहन हिस्सा कुका, कैलाश, फोरू का भूमि विकास बैंक शाख बेंगू हिस्सा खेमा बैंक ऑफ बडोदा बेंगू

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 367 | 0.065 | बीड | 0.16 |
| 368मे | 0.083 | बीड | 0.21 |
| 372 | 0.170 | चाही I | 7.38 |
| 373 | 0.056 | चाही I | 2.43 |
| 374 | 0.227 | चाही I | 9.85 |
| 375 | 0.202 | चाही I | 8.77 |
| 380 | 0.081 | चाही I | 3.52 |
| 381 | 0.081 | चाही I | 3.52 |
| 383 | 0.024 | चाही I | 1.04 |
| 385 | 0.283 | चाही I | 12.28 |
| 386 | 0.073 | चाही I | 0.18 |
| 395 | 0.300 | चाही | 13.02 |
| कीता– 12 | 1.645 हैक्टर | | 62.36 |

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेंगू (चित्तौड़गढ़)

बन्दी खाता अनुसार शामलाती बदरपुर

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 384 | 0.049 | आ.म. | – |
| कीता– 01 | 0.049 हैक्टर | | |

ग्राम पूजपुरा :–

1– श्री रामलाल पिता गोपी 2/3, अमरी पिता गोपी धाकड 1/3 सा. डोराई खातेदार रहन भूमि विकास बैंक शाख बेगूँ

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 320 | 0.089 | बीड | 0.22 |
| 321 | 0.290 | चाही ।।। 0.088 | 7.38 |
| | | जाव ।।। 0.202 | 1.88 |
| 327मे | 0.042 | बीड | 0.10 |
| 505/324 | 0.186 | चाही ।।। | 3.46 |
| कीता– 04 | 0.823 हैक्टर | | 30.85 |

2– कुका पिता दोला 1/4, कैलाश पिता शोचन्द 1/32, खेमा पिता शोचन्द 1/32, खाना पिता लक्ष्मण 1/12, गोपालाल पिता बालु 1/32, नन्दा पिता प्यारचन्द 1/16, प्यारीबाई पिता बालु 1/32, प्रभू पिता लक्ष्मण 1/12, फोजु पिता शोचन्द 1/32, फोरू पिता लक्ष्मण 1/12, मांगी पति प्यारचन्द 1/16, रूपलाल पिता बालु 1/32, सरजूबाई पति बालु 5/32, सोहनी पति शोचन्द 1/32 धाकड सा. देह डोराई रहन हिस्सा कुका, कैलाश, फोरू का भूमि विकास बैंक शाख बेगूँ हिस्सा खेमा का बैंक ऑफ बडौदा बेगूँ

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|
| 319 | 0.162 | बीड | 0.40 |
| 322 | 0.259 | चाही ।।। | 4.82 |
| 324 | 0.219 | चाही ।।। | 4.07 |
| 325 | 0.211 | चाही ।।। | 3.92 |
| 326 | 0.138 | बीड | 0.34 |
| 327मे | 0.031 | बीड । | 0.08 |
| 506/325 | 0.194 | चाही ।।। | 0.361 |
| कीता– 07 | 1.214 हैक्टर | | 17.24 |

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ दिनांक :–

दावा संख्या 41/2023 व अनवान रामलाल वनाम कूका वगै वाद अ.धा. 88–53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)